



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव)

क्रमांक : 3321 / अका. / वि.प. / स्थायी / 2024

रायपुर, दिनांक 15/05/2024

॥ सूचना ॥

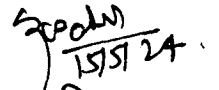
विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक गुरुवार दिनांक 16 मई 2024 को शाम 5.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में आयोजित है।

सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

विषय : M.A. Sindhi एवं M.Sc. M.Sc. Renewable Energy Technology (RET) प्रारंभ करने हेतु अध्यादेश में निम्नांकित संशोधित प्रस्तावित है, प्रस्तावित अध्यादेश में संशोधन के संबंध में विचार करना –

Ordinance	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
Revised Ordinance No. 170 Ordinance for Semester System	कंडिका 2(h) में निम्नलिखित प्रावधान संशोधित किया जाना है. (h) For admission in M.A. Chhattisgarhi & M.A. Sindhi, a candidate must have a graduate of any discipline.	M.A. Sindhi प्रारंभ करने हेतु
	नए कंडिका 2(k) में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किया जाना है –(k) For Admission in M.Sc. Renewable Energy Technology a candidate must have a Bachelor's degree B.Sc. 2nd division with Physics, Maths, Chemistry/ Electronics/CS/IT/Defence/ Geography or B.Voc. in Renewable Energy Technology Management (RETM)/Renewable Energy Technology (RET).	M.Sc . Renewable Energy Technology (RET) प्रारंभ करने हेतु

आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 3322 / अका. / वि.प. / स्थायी / 2024

रायपुर, दिनांक 15/05/2024

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक,
3. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)